न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2016 – आ0नि0

1. श्री रामदेव पुत्र श्रीकिशना बनाम गुर्जर निवासी बडला तह. हुरडा जिला भीलवाडा	1. श्री छोटू पुत्र भोलाराम भील निवासी बडला 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी	—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन निरस्तीकरण विरूद्व आदेश भू आंवटन समिति तहसील हुरड़ा दिनांक 27.12.2004

उपस्थित :–

1. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 व 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही
3. श्री विपुल बापना राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं0 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.05.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 बाबत् निरस्तीकरण आवंटन आदेश दिनांक 27.12.2004 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडला में बिलानाम आराजी सं. 851/183 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी। उक्त बिलानाम आराजी पर प्रार्थी एवं उसके बडे पिता श्री दयाराम गुर्जर काफी लम्बे समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी आवंटनशुदा कृषि भूमि आराजी सं. 851/183/1 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान नं. 914/851 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा पर प्रार्थी का आधिपत्य चला आ रहा हैं । उक्त आवंटन विपक्षी सं. 01 व 02 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर केवल कागजी तौर पर आवंटन प्रकिया पूरी करवा उक्त आराजी 851/183 में से बट्टा सं. 851/183/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा दिनांक 27.04. 2004 को बिना कब्जे की जाँच करवाये आवंटन करवा ली हैं जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य हैं । उक्त आराजी सं. 851/183/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा विपक्षी सं. 01 व 02 ने बिना किसी तारीख के आवेदन पेश किया जिस पर संबंधित पटवारी ने भी बिना तारीख के रिपोर्ट कर दी और दिनांक 27.12.2004 को राजस्व अभियान के दौरान आराजी सं. 851/183 में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि तथाकथित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन आज्ञा पारित की , जबकि तथाकथित समिति के समक्ष कहां पर व किस तारीख को पेश की व क्या सिफारिश की व किस आराजी की सिफारिश की का कोई उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा मौके पर पहले से ही प्रार्थी पक्ष का आधिपत्य हो चला आ रहा हैं, इस बाबत कोई भी रिपोर्ट नहीं ली गई। विवादित तथाकथित आवंटित भाग स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की स्थिति में है जो प्रार्थी पक्ष द्वारा विकसित की गई हैं और प्रार्थी ही उसका नियमन अपने नाम पर कराने का अधिकारी है, फिर भी इस बिन्दु पर कोई रिपोर्ट लिये बिना विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित भूमि आवंटित करने में भारी भूल की है। विपक्षी सं. 01 व 02 काश्तकार नहीं हैं

और न ही वह काश्त करते है, बल्कि वे व्यापार करते है। तथाकथित प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. 01 व 02 ने अपना कोई व्यवसाय नहीं लिखा हैं। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में काश्तकार नहीं बताया है। विपक्षी सं. 01 व 02 ने आवंटन आदेश तथा अन्य निर्देशों तथा विधि एवं नियमों की पालना नहीं की है। विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित भूमि का आवंटन सन् 2004 में गैर खातेदारी से हो चुका है तथा विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित आराजी में आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हुये है। इस आधार पर यह स्पष्ट हैं कि विपक्षी सं. 01 व 02 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नही था व हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण सं. 70/2004 प्रेषित की गयी।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से लगायत 07 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बडला में बिलानाम आराजी सं. 851/183 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी। उक्त बिलानाम आराजी पर प्रार्थी एवं उसके बड़े पिता श्री दयाराम गुर्जर काफी लम्बे समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी आवंटनशुदा कृषि भूमि आराजी सं. 851/183/1 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान नं. 914/851 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा पर प्रार्थी का आधिपत्य चला आ रहा हैं । उक्त आवंटन विपक्षी सं. 01 व 02 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर केवल कागजी तौर पर आवंटन प्रकिया पूरी करवा उक्त आराजी 851/183 में से बट्टा सं. 851/183/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा दिनांक 27.04.2004 को बिना कब्जे की जाँच करवाये आवंटन करवा ली हैं जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य हैं । उक्त आराजी सं. 851/183/2 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा विपक्षी सं. 01 व 02 ने बिना किसी तारीख के आवेदन पेश किया जिस पर संबंधित पटवारी ने भी बिना तारीख के रिपोर्ट कर दी और दिनांक 27.12.2004 को राजस्व अभियान के दौरान आराजी सं. 851/183 में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि तथाकथित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन आज्ञा पारित की , जबकि तथाकथित समिति के समक्ष कहां पर व किस तारीख को पेश की व क्या सिफारिश की व किस आराजी की सिफारिश की का कोई उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा मौके पर पहले से ही प्रार्थी पक्ष का आधिपत्य हो चला आ रहा हैं, इस बाबत् कोई भी रिपोर्ट नहीं ली गई। विवादित तथाकथित आवंटित भाग स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की स्थिति में है जो प्रार्थी पक्ष द्वारा विकसित की गई हैं और प्रार्थी ही उसका नियमन अपने नाम पर कराने का अधिकारी है, फिर भी इस बिन्दु पर कोई रिपोर्ट लिये बिना विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित भूमि आवंटित करने में भारी भूल की है। विपक्षी सं. 01 व 02 काश्तकार नहीं हैं और न ही वह काश्त करते है, बल्कि वे व्यापार करते है। तथाकथित प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. 01 व 02 ने अपना कोई व्यवसाय नहीं लिखा हैं। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में काश्तकार नहीं बताया है। विपक्षी सं. 01 व 02 ने आवंटन आदेश तथा अन्य निर्देशों तथा विधि एवं नियमों की पालना नहीं की है। विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित भूमि का आवंटन सन् 2004 में गैर खातेदारी से हो चुका है तथा विपक्षी सं. 01 व 02 को विवादित आराजी में

आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हुये है। इस आधार पर यह स्पष्ट हैं कि विपक्षी सं. 01 व 02 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नही था व हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आंवटित पत्रावली ग्राम बड़ला के प्रकरण सं. 70/2004 में आवंटन खसरा नं. 851/183/2 रकबा 3.07 बीघा दिनांक 14.12.2004 को प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गयी । आवंटनसुदा भूमि का दिनांक 16.12.2004 को कब्जा सुपुर्द किया गया एवं आवंटी के नाम पर दिनांक 16.12.2004 को सनद जारी की गयी । आवंटी अनुसूचित जनजाति का सदस्य होकर ग्राम बडला का निवासी हैं एवं सद्भावी कृषक होने से नियमानसुार आवंटन किया गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 का निरस्त कराया जाये।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम बडला तहसील हुरडा के आराजी नं. 851/183/2 रकबा 3.07 बीघा भूमि की नियमानुसार उदघोषणा जारी करके छोटू पिता भोलाराम भील निवासी बड़ला के नाम पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.12.2004 को आवंटन की गयी। आवंटी को आवंटनसुदा भूमि पटवारी हल्का बडला द्वारा दिनांक 16.04.2004 को सुपुर्द की गयी । उक्त आवंटित भूमि सीलिंग की होकर आवंटी के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से सीलिंग नजराना वसूल नहीं करके सनद फीस 5/–रू. एवं लगान बारानी भूमि का 1.01 रू. का कायम कर सनद दिनांक 16.12.2004 को जारी की गयी। आवंटन करते समय प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये एवं प्रार्थी आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवंटन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। उक्त आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता हैं एवं विपक्षी सं. 01 व 02 के नाम ग्राम बडला तह. हुरडा के आराजी नं. 851/183/2 रकबा 3.07 बीघा भूमि आंवटन दिनांक 14.12.2004 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा को तलविदा रिकार्ड लौटाया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/17

(एल. आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा